

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 398/2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जॉच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि

आदेश फलक

अभ्युक्ति

9.11.22

Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें।

अभिलेख दिनांक 8.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित।

झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजूरआ खास भूमि (किस्म) की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारंभ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:-

मौजा मौजि थाना सं० 231 खाता सं० 01 प्लॉट सं०
रकबा 4.03 एकड़ की भूमि जो गत सत्र में गैरमजूरआ मालिक किस्म
अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० I के पृष्ठ सं० 34 पर जमाबंदी रैयत मिर्सी सिंह
दाते के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित

मूल दरतावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत राक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.22 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का जामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोर्ट में दस्तावेज

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दरतावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा नैदिहा मौजा नं० 231 खाता सं०-1 प्लॉट सं०- रकबा 4.03 किस्म खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुआ है इस संबंध में कोई भी दरतावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना राक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अवैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष 1925-26 तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 34/1 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजे।

लेखापित एवं रांशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - मलाहा एंड डुतरपु 2

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	धाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
① मिर्जा सिंह (मुजबे 232 सिंह)		231	28	115	4.03	भूगती	भूगती
② जयकुली सिंह	(मुजबे 232 सिंह)		0.1	821	अ. ए.	अ. ए.	अ. ए.
③ मांगु सिंह						अ. ए.	अ. ए.

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- खेत व पहाड़ी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी-II में वर्ष 1930
नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

वर्तमान मांग पंजी-II में
नहीं दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

वर्ष 28 शैवती
है या विज्ञापित
वर्ष 1930
है। मिर्जा वर्ष B-02-
1940 है।

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

251

251

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा याचिका रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) याचिका-खारिज / भू-उपस्थापन / नामांतरण पंजी से :-

मौज पंजी-11
से मिलान
किया

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1940 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1940 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1940 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :- नहीं, 1955-56 के बाद रसीदें निर्गत हैं।

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- अपलब्ध नहीं है।

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :- प्रतिवेदन अधि मौजा-नौडीहा के जमा 28 लाख 16.5 अन्न च वाला 07 लाख - इन नही रकम 4.03 1/2 पंजी-11 के 14.11.34/1 पर फिली सिटि रकम के नाम से दर्ज है। जमा 28 लाख 16.5 अन्न रकम 3.31 1/2 ए. का बिंदी घुसा में पाया है। फलतः इसी मांग पर जमा 1 लाख - स्पष्ट नहीं है ना मांग श्री जोड़कर रकम 4.03 1/2 से मांग कायम है। जमा 1 लाख है। अप. BLR कि 1950 के नहर बरकाब नाम से रूढ़ करने के साथ जमा 28 लाख 16.5 अन्न रकम 3.31 1/2 ए. का मांग लघु सिरे से लंबे है। अनुशंसा के साथ साथ प्रतिवेदन अंतर नएवाई है। ए सादर सम्पर्क।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन किया जा प्रतिवेदन का जाँच किया, नहीं पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी में से पूर्व मजदूरी कायम की जागी का मांग रूढ़ कर शेष शक्ति को अभावतः परसे की अनुशंसा किया जाता है।

अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप सभाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा., उत्तरपुर।

अपर सभाहर्ता, पलामू।

उप प

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

① मिश्री सिंह ② शुक्लेश्वर सिंह
③ जगजी सिंह ④ माधु सिंह

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :-

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं. 34 पर कायम।

गौजा	धाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>मौडीया</u>	<u>231</u>	<u>28</u>	<u>165 अ-य</u>	<u>3.31 1/2</u>
		<u>01</u>	<u>हर्ष लक्ष्मी</u>	<u>—</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी-य में वर्ष दर्ज नहीं है।

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- खाना 28 रैयती है।
समय सिंह-10 देसावर सिंह
बाला 4 पाम है।

5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- बंगाल पंजी-य

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
नामांतरण बाबू क. ड. में दर्ज नहीं है।
पंजी-य में दर्ज नहीं है, जिससे यह जमाबंदी रैयत
का

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार रैयती भूमि का बिट्टी नैबाला
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- है व पाम का
का कोई आधार
स्पष्ट नहीं है।

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
मांग पंजी-11 व छतिमान के

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
①	<u>38/471</u>	<u>1/3/96</u>	<u>1975-76</u>
2			

RSI

प्रभुपालिय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

पद अमिलेख सं० 338/20.16-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम ① मिश्री बिंहु ② मुनेश्वर सिंह
③ जमुनी बिंहु ④ मागु बिंहु

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा मौडीहा थाना नं०.....
खाता सं० ०१ खेसरा नं०..... रकबा 40.3 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० III के पंजी-II भाग के पृष्ठ 34 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

जगन्नाथ सिंह
7667685339
24/12/2022

